उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड़, उदयपुर

फोन न0 0294–2640188 E-mail- saras@milkunionudaipur.com

निविदा नोटिस न0 – **1386** निविदा फार्म सं0 –

S.No.	Particular	Description
1	निविदा का नाम	उदयपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्रो में मोबाईल पार्लर के माध्यम से उत्पाद विक्रय किये जाने हेतु।
2	निविदा संदर्भ	निविदा सूचना
3	निविदा की अनुमानित लागत	रुपये 4.50 लाख
4	निविदा की अवधि	1 वर्ष
5	अमानत राशि (अरनेस्ट मनी)	रुपये 9000/– की डी.डी. (अक्षरे नौ हजार रुपये) (उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.,उदयपुर के पक्ष में)
6	निविदा शुल्क	रुपये 590/– (जीएसटी सहित) की डी.डी. (अक्षरे पाँच सौ नब्बे रुपये) (उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उदयपुर के पक्ष में)
7	निविदा फार्म प्राप्त करने की दिनांक व समय	09.09.2026 दोपहर 2.00 बजे तक
8	निविदा फार्म जमा कराने की दिनांक व समय	09.09.2026 सायं 4.00 बजे तक
9	निविदा फार्म खोलने की दिनांक व समय	10.09.2026 दोपहर 2.00 बजे
10	निविदा खोलने का स्थान	Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Ahmedabad Road, Udaipur (Raj.) 313002
11	निविदा फार्म भाग–ब खोलने की दिनांक व समय	11.09.2026 सायं 4.00 बजे

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड़, उदयपुर

फोन न0 0294–2640188 **E-mail- saras@milkunionudaipur.com**

निविदा तकनीकी प्रपत्र भाग–"अ"

उदयपुर शहर व आसपास के विभिन्न क्षैत्रो पर दुग्ध उत्पाद का विक्रय किये जाने हेतु मोबाईल पार्लर (टेम्पो) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निविदाः–

निविदादाता द्वारा भरने के लिये प्रपत्र भाग– "अ"

1. निविदादाता का नाम :– ....
2. पिता का नाम :– ....
3. स्थाई पता :– ....
4. पत्राचार का पता :– ....
5. शैक्षणिक योग्यता :– ....
6. मोबाईल नम्बर :– ....
7. ई–मेल का पता (e-mail ID) :– ....
8. पेन कार्ड का विवरण (नम्बर) :– .... (संलग्न करे)
9. जी.एस.टी. नम्बर :– .... (संलग्न करे)
10. आधार कार्ड नम्बर :– .... (संलग्न करे)
11. एफ.एस.एस.ए.आई एक्ट 2006 का लाईसेन्स/सर्टिफिकिट नम्बर, :– ....(संलग्न करे)
12. निविदादाता का बैक का नाम, पता :– .... (संलग्न करे)
13. निविदादाता के बैक खाता संख्या व आई.एफ.सी कोड :– .... (संलग्न करे)
14. निविदा फार्म फीस :– रुपये ....
    (In favour of Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd, Udaipur)
    डी.डी सं0 .... दिनांक ....
    बैक का नाम ....
    ब्रांच का नाम ....

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

15. निविदा अमानत राशि का विवरण :– रुपये ....
(In favour of Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd, Udaipur)
डी.डी सं0 .... दिनांक ....
बैक का नाम ....
ब्रांच का नाम ....

16. निविदादाता की गत तीन वित्तीय वर्षो (2023–24, 2024–25, व 2025–26) का आयकर विवरणीया, अंकेक्षित लेखे, लाभ–हानि खाता, संतुलन चित्र .... (संलग्न करे)।

17. मोबाईल पार्लर हेतु टेम्पो वाहन का मॉडल (आर.सी की छायाप्रति).. (संलग्न करे)।

18. कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति/कार्यादेश की छायाप्रति .... (संलग्न करे)।

19. वाहन की उपलब्धता सम्बन्धी जानकारी वाहन मॉडल 2021 से पहले का न हो।

क्र0स0	पंजीयन संख्या व पंजीयन दिनांक	वाहन के स्वामी का नाम व पता तथा पजीयन अधिकारी व पता	वाहन का मॉडल एवं कम्पनी का नाम	अन्य विवरण
1				
2				
3				
4				
5				

निविदा में उल्लेखित सभी शर्ते, उपबन्धो एवं विशेष शर्तो को मेरे द्वारा पढ़कर समझ लिया गया है जो मुझे पूर्णतया स्वीकार हैं। जिसके सहमति प्रमाण स्वरुप मैने/हमने निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये है।

निविदा सूचना की आवश्यक शर्ते

1.0 अमानत राशि

1.1 निविदा फार्म के साथ निर्धारित अमानत राशि जिसका विवरण निविदा सूचना अनुसार का ड्राफ्ट / पे–आर्डर संलग्न करना आवश्यक है। जिसके अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी। जमा राशि पर संघ द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।

1.2 सफल निविदादाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात बाकी सभी की अमानत राशि लौटा दी जायेगी।

1.3 न्यूनतम निविदादाता को वितरक नियुक्ति कार्यादेश देने के पश्चात निर्धारित तिथि को अनुबन्ध सम्पादन अथवा निर्धारित तिथि कार्य प्रारम्भ नहीं करने की दशा में अमानत राशि जब्त करने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित है।

1.4 किन्ही आंतरिक अथवा वैधानिक कारणो से समस्त निविदाओं को निरस्त करने की स्थिति में या न्यूनतम निविदादा की निविदा स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में प्रबंधन सम्बधित निविदादाताओं कि अमानत राशि लौटा सकेगा जो सभी को मान्य होगा।

1.5 सामान्य परिस्थितियों में अमानत राशि जो न्यूनतम निविदादाता द्वारा जमा कराई गयी है, उसे अनुबन्धकर्ता की धरोहर राशि में समायोजित कर लिया जायेगा।

1.6 यदि अमानत राशि का ड्राफ्ट संघ में जमा होता है तो निविदादाता ऐसी जमा की पक्की रसीद प्राप्त कर एवं भुगतान के समय उक्त जमा रसीद को समर्पित करे। संघ में जमा अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

2.0 निविदादाता की योग्यतायें

2.1 संघ में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी / संचालक मण्डल के सदस्य / श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित कार्मिक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य (स्वयं,पत्नी,पुत्र एवं पुत्र वधु) निविदा में भाग नहीं ले सकेगे।

2.2 निविदाकर्ता नाबांलिग, अयोग्य व ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं होना चाहिये। निविदाकर्ता न्यायालय से घोषित अपराधी / दरवालिया करार नहीं होना चाहिये।

2.3 निविदादाता उक्त निविदा में भाग लेने के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च प्राथमिक पास होना चाहिये।

2.4 अनुबन्धकर्ता अपनी अनुबन्ध अवधि में अन्य किसी पार्टी / संस्था / व्यक्ति से अन्य कोई ऐसा अनुबन्ध नहीं कर सकेगा जो कि संघ के हित में नहीं हो। ना ही अनुबन्ध को पूर्ण रुप से या आंशिक रुप से किसी अन्य को उपभाडा (सबलेट) कर सकेगा। ऐसी स्थिति में संघ प्रबंधन को अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा।

2.5 (अ) निविदादाता यदि पुराना वाहन लगाने के निविदा प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में आर. सी को अनुपस्थित मानते हुये निविदा को निरस्त कर दी जायेगी।

3.0 अनुबन्ध अवधि, समाप्ति, नवीनीकरण, भंग आदि।

3.1 अनुबन्ध अवधि **एक वर्ष** की होगी दोनों पक्ष सहमत होते है तो उक्त अनुबन्ध का नवीनीकरण एक बार आगामी **एक वर्ष** के लिए **कार्य मूल्यांकन** पश्चात किया जा सकेगा, इस प्रकार कुल **अनुबन्ध अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगी।** मूल अनुबन्ध अवधि अथवा नवीनीकरण के पश्चात अनुबन्ध अवधि समाप्त होने की दशा में किसी कारण वंश निविदा में विलम्ब होता है तो प्रबंधन तीन माह अथवा नयी निविदा होने तक जो भी पहले हो तक के लिये अनुबन्ध अवधि बढ़ाई जा सकेगी जो ठेकेदार को मान्य होगी।

3.2 एक वर्ष पश्चात अनुबन्ध, कार्य मुल्यांकन पश्चात, नवीनीकरण होने से पूर्व मोबाईल पार्लर में रिपेयरिंग एवं कलर (संघ द्वारा स्वीकृत पेन्टिग कार्य) कराने पर समक्ष कमेटी की अनुशंषा पश्चात ही अगले वर्ष का कार्य आदेश दिया जावेगा।

3.3 दोनों पक्ष यदि सहमत होते है कि किन्ही अपरिहार्य कारणों से अनुबन्ध का संचालन आगामी अवधि के लिये करना सम्भव नहीं हो तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध की समाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है।

3.4 यदि अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध की शर्तो का उल्लघन करता है जिसके कारण संघ को लगातार हानि होना प्रमाणित होता है, अनुबन्धकर्ता गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होना पाया जाता है, संघ की सम्पत्तियों को नुकसान पहुँचाना, चोरी करना, संघ स्टाफ के साथ मारपीट करना, डराने–धमकाने की गतिविधियाँ करता है अथवा अनुबन्धित कार्य करना बन्द करता है अथवा अनुबन्धकर्ता के विरुद्व किसी भी कारणवंश पुलिस विभाग में अपराधिक मामला दर्ज होना पाया जाता है तो अनुबन्ध भंग की श्रेणी में माना जायेगा इस सम्बन्ध में प्रंबध संचालक के पास यह विशेषधिकार होगा कि यह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुये संघ के हितो को सुरक्षित रखते हुये अनुबन्ध की समाप्ति/समुचित आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है।

4.0 धरोहर राशि

4.1 सफल अनुबन्धकर्ता वितरक की अमानत राशि जिसका विवरण निविदा सूचना अनुसार है धरोहर राशि में परिवर्तित हो जायेगी।

4.2 धरोहर राशि की मात्रा में कमी अथवा बढ़ोतरी सक्षम कमेटी की अनुशंसा अथवा काम में कमी अथवा वृद्वि के मध्येनजर प्रबंध संचालक समुचित निर्णय ले सकते है।

4.3 अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात समस्त बकाया की वसूली होने के बाद एवं सम्बन्धित अनुभागों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद धरोहर राशि लौटा दी जायेगी, किन्तु अनुबन्धकर्ता के विरुद्व किसी भी राज्य अथवा सरकार के विभाग द्वारा अथवा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय डिमाण्ड को भरने हेतु संघ को बाध्य किया जाता है एवं धरोहर राशि अथवा देय भुगतान पर रोक लगा दी जाती है अथवा सीधे भुगतान उन्हे स्थानान्तरित करने के आदेश संघ को मिलते है तो ऐसे समस्त भुगतान ठेकेदार को किये हुये माने जायेगे जिसका संघ पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

4.4 संघ की किसी भी प्रकार की बकाया राशि की वसूली अनुबन्धकर्ता की धरोहर राशि में से की जा सकेगी।

5.0 निविदा प्रक्रिया की सामान्य जानकारी

5.1 सामान्य रुप से यथोचित स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं संघ की नजर में बहुत अधिक व्यक्ति व्यवसाय इस कार्य क्षेत्र में बाजार में उपलब्ध यदि है, तो न्यूनतम तीन निविदायें प्राप्त होने पर निविदा खोलने की प्रक्रिया आरम्भ की जावेगी, किन्तु यदि संघ के कार्यो को सुचारु रुप से सम्पादन करने के लिये एवं होने वाली भावी हानियों को बचाने के उद्देश्य से अथवा टेण्डर प्रक्रिया की पालना नहीं होने के कारण संघ के कार्य जाम हो जाने की दशा में अथवा अन्य आन्तरिक कारणो के मध्यनजर सक्षम कमेटी की अनुशंसा पर प्रबंध संचालक महोदय तीन से कम निविदा होने अथवा सिंगल निविदा होने पर भी संघ हित में निर्णय लेने के लिये स्वतन्त्र होगे।

5.2 विषम परिस्थितियों में अथवा निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि से लेकर निविदा खोलने की तिथि के मध्य तक किसी भी प्रकार की परिस्थिति की परिवर्तन अथवा प्राप्त निविदाओं स्थिति, कार्य आकस्मिकता, महत्व अथवा अपरिहार्य कारणो के मध्येनजर प्रबन्ध संचालक महोदय को निविदा की किसी भी शर्त संशोधन करने, निरस्त करने अथवा शर्तो में शिथिल करने का पूर्ण अधिकार है। इसी प्रकार अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध करने के पश्चात भी अनुबन्ध की शर्तो को लागू करने, कम करने, शिथिल करने, किसी भी शर्त को समाप्त करने अथवा किसी भी शर्त को निरस्त करने व नई शर्त जोडने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक महोदय के पास होगा।

5.3 किसी भी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बतायें निरस्त करने, अस्वीकृत करने अथवा वितरक मार्जिन को नेगोशियशन का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित है।

6.0 प्राकृतिक आपदायें एवं राजकीय बाध्यतायें

6.1 किसी भी प्राकुतिक आपदा यथा तूफान, व्यापक हडताल/हिंसा–उपद्राय, भूकम्प अथवा किसी राजकीय कानून के लागू हो जाने के कारण अनुबन्ध का चालू रखना सम्भव नहीं रखने की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा एवं ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष होने वाली अपनी–अपनी हानि को स्वयं वहन करेगें तथा अनुबन्ध भंग होने की स्थिति में संघ का कोई वित्तीय उतरदायित्व नहीं होगा।

7.0 विविादो का निपटारा/विवाचन (आरर्बीट्रेशन)

7.1 उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उदयपुर और निविदादाता के मध्य इन शर्तो में लागू नियम की व्याख्या अथवा उनके प्रयोग सम्बंधी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर संघ का मत अनुमन्य होगा। यदि संघ के मत में कोई निविदादाता असन्तुष्ट है तो इससे उत्पन्न विवाद को संघ द्वारा नियुक्त एकल विवाचक (सोल आरर्बीट्रेटर) को निर्दिष्ट किया जा सकता

है, एवं समस्त कार्यवाही “आरबीट्रेशन एवं कन्सीलियेशन एक्ट 1996” के तहत सम्पादित की जायेगी। इस प्रकार की कार्यवाही में दिया गया निर्णय सभी पक्षो के लिए अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। विवाचन की कार्यवाही एवं अवार्ड्स से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियाँ उसी स्थान के न्यायालय के क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत होगी, जिस स्थान पर उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का मुख्यालय स्थित है, अर्थात उदयपुर (राजस्थान) होगा। तद्उपरान्त सभी प्रसंगो का न्याय क्षैत्र केवल और केवल उदयपुर की अदालत के न्याय अधिकार क्षैत्र में आयेगा।

7.2 सभी प्रसंगो का न्याय क्षेत्र उदयपुर ही होगा।

7.3 किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की दशा में उसका समाधान पंच निर्णायक कानून की प्रक्रिया के अनुसार होगा जिसमें प्रबन्ध संचालक द्वारा दिया हुआ निर्णय दोनों पक्षो को मान्य होगा।

8.0 निविदा स्वीकार करने का अधिकार

8.1 उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 उदयपुर किसी भी निविदा अथवा न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। संघ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह सम्पूर्ण निविदा अथवा निविदा के किसी हिस्से को स्वीकार करें।

9.0 निविदा हस्तान्तरण अथवा अन्य व्यक्ति को सबलेट करना

9.1 प्रबन्ध संचालक की अनुमति के बिना अनुबन्ध का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा। अनुबन्धकर्ता अपने अनुबन्ध को किसी भी अन्य को अवलेट नहीं कर सकेगा।

9.2 यदि प्रबंधन की अनुमति पर अनुबन्धकर्ता अपने अनुबन्ध हस्तान्तरण करना चाहता है तो ऐसी परिस्थिति मेंः–

1. रु. दस हजार संघ में शुल्क के रुप में जमा कराने होगे।
2. ऐसा करने के लिये एक माह का नोटिस देना होगा।
3. वर्तमान अनुबन्धकर्ता का अनुबन्ध निरस्त किया जावेगा एवं प्रस्तावित पक्षकार नवीन अनुबन्ध पत्र, धरोहर राशि, बैक गारन्टी इत्यादि की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर लेता है, तत्पश्चात ही संघ में जमा धरोहर राशि, बैक गांरटी पुराने पक्षकार को अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात लौटाई जा सकेगी।
4. इस सम्बन्ध में संघ द्वारा आपसी सहमति पर एवं अन्य विशेष शर्ते/प्रतिबन्ध यदि संघ लागू करता है तो तीनों पक्षकारों को मान्य होगी।

10.0 अनुचित साधनों या युक्तियो का उपयोग

10.1 निविदादाता द्वारा निविदा को स्वीकृत करवाने के लिये किसी भी प्रकार के अनुचित दबाव अथवा अनुचित प्रभाव का उपयोग अथवा उपहार, किसी प्रकार की उत्कोच संस्था के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को देना पाया जाना अपराध की श्रेणी में माना जायेगा। ऐसी समस्त गतिविधियों पर संघ में प्रतिबन्ध है।

10.2 अनुचित साधनों अथवा अनुचित दबाव प्रभाव का प्रमाण होने की स्थिति में निविदादाता की निविदा बिना कारण बताये निरस्त की जा सकेगी।

11.0 बकाया राशियों की वसूली

11.1 संघ अपनी बाकियात की वसूली अनुबन्धकर्ता की धरोहर राशि में से अथवा उसकी बैक गारन्टी को भुनाकर फिर भी यदि कोई बकाया राशि रहती है तो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वसूली करने के लिये अधिकृत रहेगा।

11.2 अनुबन्धकर्ता के अनुबन्ध के सम्पादन के दोरान कार्य में की गई लापरवाही अथवा राजकीय कानून का उल्लंघन किये जाने के परिणाम स्वरुप भविष्य में किसी भी सरकारी विभाग द्वारा पेनाल्टी अथवा बकाया राशियों का दावा पेश करने के कारण यदि संघ को किसी प्रकार की कोई हानि उठानी पड़ती है, उस दशा में संघ एक माह का नोटिस देकर उक्त राशि का पुनर्भरण करने करने के लिए संघ अनुबन्धकर्ता को सूचित करेगा। यदि संघ की हानि की पूर्ति अनुबन्धकर्ता नहीं करता है, तो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा संघ कार्यवाही कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये सक्षम रहेगा।

11.3 अनुबन्धकर्ता, संस्था, फर्म अथवा सेवा प्रदाता केन्द्रीय/राजकीय कर, अधिभार, शुल्क, लेवी, सेवाकर इत्यादि के लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार होगा।

12.0 दुग्ध पदार्थ के विक्रय के लिये नकद राशि जमा करा बिल प्राप्त कर सप्लाई करनी होगी।

13.0 कार्य अनुभव

13.1 न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है।

विशेष शर्तेः–

(अ) **दुग्ध उत्पाद विक्रय कार्य**

1. अनुबन्धकार्ता वितरक स्वयं के खर्चे पर प्रभावी विपणन के निर्देशानुसार अपने मोबाईल पार्लर की डिजाईन/निर्माण कार्य टेम्पो पर ही दुग्ध उत्पाद डिजाईन पेन्टिग करवाने के लिये बाध्य होगा एवं खराब होने की स्थिति में अपने खर्चे पर सही करवाना होगा।इसी प्रकार अनुबन्ध समाप्ति पर उपरोक्त पेन्टिग को मिटाना होगा।
2. विशेष परिस्थितियों में दुग्ध उत्पाद विक्रय का कार्य बन्द रखा जा सकेगा, जिसकी कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी। संघ के जोन/मार्ग अनार्थिक होने के पन्द्रह दिवस का नोटिस देने के बाद मार्ग पर आईसक्रीम एवं दुग्ध उत्पाद का कार्य बन्द किया जा सकेगा। जिसके लिये कोई राशि हर्जाना/क्षति पूर्ति देय नहीं होगी।
3. डीजल की दरों में सरकार द्वारा कमी/वृद्वि होने पर संघ द्वारा किसी प्रकार की कमी/वृद्वि नहीं की जावेगी।
4. निविदादाता निविदा में से दो से अधिक निविदा में भाग नहीं ले सकता है।
5. मोबाईल पार्लर वाहन संचालनकर्ता को प्रतिदिन औसतन रु.10000/– का माल (दुग्ध उत्पाद) बिल कटाना होगा। एवं प्रतिदिन औसतन 50 किलोमीटर वाहन को चलाकर दुग्ध उत्पाद का विक्रय करना होगा। एवं Log Book को सत्यापित करवाना होगा।
6. सफल वितरक को संध द्वारा देय फार्मेट अनुसार इकरारनामा (रु 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निस्पादित कराना होगा।
7. सफल वितरक को न्यूनतम सदस्यता शुल्क की एवज में रु 100/– नकद, संघ की बिल शाखा में जमा कराना होगा।
8. संघं द्वारा अनुबन्धकर्ता से एक से अधिक वाहन लगाने के लिए कहा जाए तो अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की नियम एवं शर्तो पर वाहन लगाना होगा।
9. सफल निविदादाता फर्म के स्टॉफ द्वारा चोरी करते हुये पाये जाने पर पकडे गये माल की (चोरी की) मात्रा की **कीमत का दस गुना राशि शास्ती के रुप में अनुबन्धकर्ता वितरक से वसूल की जा सकती है।** साथ ही चोरी में लिप्त कर्मचारी को अपनी सेवा से मुक्त करना होगा। ऐसे व्यक्ति को पुनः आपके अथवा अन्य अनुबन्धकर्ता वितरक के वाहन पर सेवा हेतु नहीं रखा जा सकेगा।
10. अनुबन्धकर्ता/मोबाईल पार्लर के ठेकेदार अपने मोबाईल पार्लर के वाहन पर जो ड्राईवर/हेल्पर लगाये जावेगें अनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए अर्थात वो बालिक की श्रेणी में होना चाहिए। अनुबन्ध कार्यकाल के दौरान किसी भी समय निरीक्षण करने पर यदि किसी भी वाहन पर ड्राईवा/हेल्पर की आयु 18 वर्ष से कम आयु का पाया गया तो उसे टेण्डर शर्तो का उल्लघंन मानते हुए उक्त वाहन के अनुबन्धकर्ता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में ली जावेगी। जिसके अन्तर्गत उसका टेण्डर निरस्त भी किया जा सकता है, साथ ही ड्राईवर के लाईसेन्स की प्रति लगानी होगी।
11. अनुबन्धकर्ता वितरक द्वारा किसी दिन माल वितरण नहीं करने पर संघ द्वारा अनुबन्धकर्ता वितरक के हर्जे खर्चे व जोखिम पर व्यवस्था यदि की जाती है, तो समस्त अतिरिक्त खर्च मय हानि की

वसूली अनुबन्धकर्ता वितरक से की जावेगी तथा अतिरिक्त रुपये 500/– प्रतिदिन की शास्ती भी वसूल की जावेगी परन्तु सामान्यतः संघ वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु बाध्य नहीं होगा।

12. प्राकृतिक आपदा व हडताल जैसे कारणों से अथवा अन्य कारण वश माल वितरण नहीं हो पाता है तो किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज संघ द्वारा देय नहीं होगा।
13. **अनुबन्धकर्ता को आंवटित क्षेत्र में उत्पाद विक्रय किये जाने हेतु संघ द्वारा डीजल दर पर देय होगे, जैसेः– बटर, श्रीखण्ड, पनीर, दही, छाछ, Long Life Product रसगुल्ले, गुलाबजामुन आदि विक्रय करने होगें। विशेष परिस्थितियों में उक्त मात्रा में कमी/वृद्धि किये जाने का अधिकार प्रभारी विपणन के पास निहित होगा।**
14. वितरक को संघ द्वारा निर्मित घी के अतिरिक्त अन्य दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर एवं घी वितरक दर से प्रति किलो/लीटर पर रु. 2.00 अतिरिक्त पर नकद भुगतान के आधार पर प्राप्त करने होगे। वितरक एक दिन पश्चात की जाने वाली डिमांड आपूर्ति से सम्बधित नकद राशि (वितरक दर अनुरुप) सीधे ही दुग्ध संघ के खाते (लेखा–शाखा द्वारा निर्देशित व्यवस्था अनुरुप) में एक दिन पूर्व जमा किया जाना सुनिश्चित करावेगा ताकि अगले दिन बिल कटाने हेतु लगने वाले अनावश्यक समय को कम किया जा सके। सफल वितरक द्वारा एक दूसरे के अर्थात अन्य के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने पर संघ द्वारा शास्ति आरोपित की जावेगी। वितरक, दुग्ध संघ, उदयपुर एवं आर.सी. डी.एफ जयपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर विपणन कार्य करने हेतु बाध्य होगे।
15. दुग्ध संघ द्वारा यदि मॉडन आउटलेट (जैसे– रिलायंस, blinkit, स्वींगी, जेपटो आदि) पर सप्लाई करने के लिये कहां जाता है तो वितरक को दूध व दुग्ध उत्पादो की सप्लाई करनी होगी।
16. सफल वितरक को अपनी दुकान अथवा गोदाम पर कोल्ड चेन हेतु एक कार्यरत डीपफ्रिज एवं वी. सी. कूलर की उपलब्धता सुनिश्चित करवानी होगी जिसका किराया, रख–रखाव एवं मरम्मत की समस्त जिम्मेवारी वितरक की स्वयं की होगी। जिसका निरीक्षण समय–समय पर मार्ग प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकेगा। गर्मी के समय जब डिमांड अधिक होगी उस समय वितरक को दुग्ध उत्पाद के भण्डारण की उचित व्यवस्था कर उत्पाद की डिमांड पूर्ति विक्रय केन्द्रो को समय अनुरुप करानी होगी।
17. वितरक को संघ द्वारा इश्यु किये गये दुग्ध उत्पाद का वितरण रिर्टनेबल क्रेट मे ही किया जावे जो क्रेटें संघ द्वारा इश्यु की जावेगी उन्हे दूसरे दिन सप्लाई ले जाते समय आवश्यक रुप से संघ कार्यालय में जमा करवानी होगी। पूर्व में की गई सप्लाई की क्रेटो से कम क्रेटे जमा कराने पर शेष क्रेटो की कीमत वितरक द्वारा वसूल की जावेगी। सफल वितरक को क्रेटो का प्रतिदिन का विवरण विपणन कार्यालय से हर माह प्राप्त करना होगा।इसके साथ प्रत्येक माह की अंतिम दिनांक का बकाया क्रेटो का नोडयूज कराना आवश्यक होगा। नोडयूज होने के उपरान्त ही परिवहन व्यय हेतु बिल का भुगतान किया जावेगा।
18. **निविदा/कार्य आदेश में स्वीकृत मोबाईल पार्लर ही दुग्ध उत्पाद विक्रय का कार्य दैनिक रुप से सम्पादित करेगा। दुर्घटना अथवा तकनिकी खराबी होने पर प्रभारी विपणन की स्वीकृति पश्चात ही अन्य वाहन लगाया जा सकेगा।**
19. संघ अथवा उसका अधिकृत अधिकारी को अनुबन्धकर्ता के मोबाईल वाहन/ऑफिस/अन्य स्थान जो मोबाईल वाहन संचालक कर्ता के कार्य में लिया जा रहा है, को किसी भी समय चैक करने का

अधिकार विपणन विभाग का होगा। इस सम्बन्ध में अनुबन्धकर्ता व उसके कर्मचारियों को सहयोग करना होगा। सहयोग न करने की स्थिति में शास्ती आरोपित की जायेगी एवं अनुबन्ध भी निरस्त किया जा सकेगा।

20. उपभोक्ताओं / दुग्ध विक्रेताओं को अच्छी सेवा देने हेतु संघ के प्रबन्ध संचालक अनुबन्ध अवधि के दौरान अनुबन्ध की किसी भी शर्त में परिवर्तन / संशोधन नई शर्ते लागू करने का अधिकार होगा है।
21. निविदादाता को मोबाईल पार्लर पर वाहन के आगे एवं पीछे (ऊपर की तरफ) वाहन का नम्बर एवं मार्ग रेडियम अथवा रेक्ट्रो फ्लेक्स से लिखवाना होगा, अधिक जानकारी प्रभारी विपणन से ली जा सकती है।
22. सफल मोबाईल पार्लर संचालक द्वारा रुपये **1,00,000 / – (रुपये एक लाख मात्र)** (अमानत राशि + शेष राशि) सुरक्षा राशि (सिक्युरिटी मनी) के रुप में संघ कार्यालय में जमा कराने पर ही यह अनुबन्ध प्रभावी होगा। सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। इस के अतिरिक्त नेशनलाईज्ड बैक से **रु तीन लाख की बैक गांरटी तीस माह की देनी होगी।**
23. मोबाईल पार्लर वाहन को संचालनकर्ता की वाहन की बॉडी एवं डिजाईन संघ के निर्देशानुसार बनानी होगी।
24. मोबाईल पार्लर संचालनकर्ता को मोबाईल पार्लर में दो डीप फ्रीजर (हार्डनर) अथवा जाइलोकूल, डीपफ्रीजर ऐसे लगाना होगा कि डिपफ्रीजर की विद्युत से चार्ज किया जावे जिसकी बैकअप पॉवर न्यूनतम 08 घण्टे की हो।
25. मोबाईल पार्लर संचालन कर्ता को आईसक्रीम एवं दुग्ध उत्पाद बाजार में उपभोक्ताओं को विक्रय के साथ यदि शादी एवं पार्टी के आर्डर प्राप्त होते है तो वह आर्डर प्राप्त करने के लिये अधिकृत है, परन्तु संघ की सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
26. सफल मोबाईल पार्लर संचालनकर्ता को आवश्यकता अनुसार स्वीकृत दरों पर मोबाईल पार्लर उपलब्ध कराने होगे।

<u>**भाग ब में एक वाहन की प्रतिदिन दर भरनी होगी**</u> तथा शहर से बाहर जाने हेतु दर प्रति किलोमीटर पर दे। फिलहाल एक वाहन की आवश्यकता है किन्तु भविष्य में आवश्यकता होने पर सफल निविदादाता को इसी दर पर दूसरा वाहन भी उपलब्ध कराना होगा।

27. निविदादाता को कार्य आदेश निम्न दस्तावेज की छायाप्रति उपलब्ध कराने पर देय जैसे– GST सर्टिफिकेट की छायाप्रति, पेन की छायाप्रति, फूड लाईसेन्स / सर्टिफिकेट की छायाप्रति, वाहन से सम्बंधित समग्र दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेज संघ द्वारा माँगने पर उपलब्ध कराने होगे।
28. मोबाईल पार्लर संचालनकर्ता मोबाईल पार्लर वाहन का संचालन निर्धारित दैनिक समय सारणी एवं जोन के अनुसार करेगा।
29. उत्पादो का विक्रय मूल्य समय– समय पर संघ द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसकी पालना मोबाईल पार्लर वाहन संचालक को करनी होगी। साथ ही उत्पादो की मूल्य सूची भी मोबाईल पार्लर वाहन पर लगानी अनिवार्य होगी। निर्धारित मूल्य से अधिक पर उत्पाद बेचने सम्बन्धी जानकारी संघ में प्राप्त होने पर संघ द्वारा मोबाईल पार्लर वाहन संचालक पर शास्ति आरोपित की जावेगी एवं

इस प्रकार की शिकायत की पुनरावृत्ति होने पर आपका आवंटन निरस्त भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संघ द्वारा कोई भी क्षतिपूर्ति/मुआवजा संचालक को देय नहीं होगा।

30. संघ द्वारा वितरित किये गये दूध एवं दुग्ध उत्पादों के रुप/गुणवत्ता आदि में किसी प्रकार की छेडछाड या मिलावट सम्बंधी शिकायत प्राप्त होने पर मोबाईल पार्लर वाहन का आंवटन तुरन्त प्रभाव से रद्द किया जायेगा एवं इस कारण आपको होने वाली किसी भी हानि के लिये मोबाईल पार्लर वाहन संचालक स्वयं जिम्मेदार होगे।
31. सामान्य परिस्थिति में विक्रय किये सरस उत्पाद संघ में वापस नहीं लिये जायेगे।
32. सरस उत्पाद एवं अनुमोदित अन्य उत्पाद के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ (जैसे कोल्ड ड्रिंक्स) तथा बीडी सिगरेट, गुटखा आदि मोबाईल पार्लर वाहन में रखने की ईजाजत नहीं होगी।
33. मोबाईल पार्लर वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों को व्यवस्थित वेशभुषा पहननी होगी। जिसकी व्यवस्था संचालक को स्वयं करनी होगी। तथा मोबाईल पार्लर चालक/सेल्समेन को परिचय पत्र रखना होगा।
34. मोबाईल पार्लर वाहन का कार्य करने हेतु वांछित संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करने का दायित्व संचालक का होगा। कर्मचारियों का मुख्य नियोक्ता मोबाईल पार्लर संचालक ही होगा एवं उनका वेतन आदि का सम्पूर्ण दायित्व भी उसी का होगा।
35. **प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशानुसार यदि मोबाईल पार्लर को ग्रामीण क्षैत्रों में आयोजित होने वाले मेलो, त्यौहारो इत्यादि कार्यक्रमों में सरस दुग्ध उत्पाद विक्रय किये जाने हेतु भेजा जाता है तो उस दशा में मोबाईल पार्लर संचालन कर्ता को वहाँ जाकर सरस दुग्ध उत्पाद विक्रय करने होगे।**

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड़, उदयपुर
फोन न0 0294–2640188 E-mail- saras@milkunionudaipur.com

अनुबन्ध का प्रारुप

AGREEMENT

This agreement has been made on this ………………………………………… day of month……………… year ………………….. between Shri ………………………………………….. S/o……………………………….. Resident ……………………………………………………………………(hereinafter called the Mobile Parlour Operator which in expression shall, where the context so admits be deemed to include his heirs, successors, executors and administrators) and the Managing Director ofUdaipurDugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Udaipur (hereinafter called to the Sangh) which in expression shall where the context so admits be deemed to include his successors in office of the persons deputed by the managing director for the purpose.

Where as the Mobile Parlour Operator has agreed to purchase the milk & milk products from Sangh by paying the purchase value of milk & milk products as cash payment basis and will supply the products as per instruction of Sangh at the specified destination and will maintain cold chain to keep safe guard of the quality of products on the other hand to up keep this contract the Sangh will sale/supply the milk & milk products to the Mobile Parlour Operator as per the terms & conditions & the manner set forth in the tender documents which is the integral part of the contract and appended here with and the agreement.

Now the contract conditions are witnessed on follows.

1. Where as the Mobile Parlour Operator has deposited Rs. ………………../- vide Sangh receipt no. ……………………….. Dated …………………. as security for the due performance of the aforesaid agreement.
2. The conditions of the tender and contract enclosed the Tensder Notice No. ……………… date ……………… and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on both the parties executing this agreement.
3. Where as this agreement has/will come in to force for the period with effect from …………………………………… and will remain in force up to ………………………………………… and can be terminate earlier also by giving suitable notice by Managing Director, Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Udaipur to the …………………………………………..
4. In Case of none-fulfillment of all or any of the conditions of the contract by the Mobile Parlour Operator penalty at the rates mentioned in the terms and conditions attached with tender and also appended with this agreement shall be recovered either out of the dues of the Mobile Parlour Operator property in case security is not sufficient to recover the damage of the Sangh. The contract can also be terminated in such case.
5. In the event of the Mobile Parlour Operator shall be responsible to made alternate arrangement for the prescribed manner. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretations of this agreement shall be decided by the Managing Director of the Sangh and decision of Managing Director shall be final and binding on both the parties executing the agreement.
6. The Jurisdiction of the disputes is restricted to Udaipur only.
   In witness of the parties here to set their hands on this ………………… Day of …………………………...2026.

Signature of Mobile Parlour Operator	Signature for & on behalf of the Sangh
Witness:-	Witness:-
1. ……………………………………..	1. ………………………………………..
2. …………………………………..	2. ……………………………………..

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

गोवर्धन विलास, अहमदाबाद रोड़, उदयपुर

फोन न0 0294–2640188 **E-mail- saras@milkunionudaipur.com**

निविदा फार्म सं0 –

भाग– ब

(वित्तीय निविदा)

(निविदा नोटिस न0:– .... दिनांक ....)

1. विषय – उदयपुर शहर एवं आसपास के क्षैत्रों में मोबाईल पार्लर के माध्यम से उत्पाद विक्रय किये जाने हेतु। (एक वाहन हेतु दर)।

2. निविदादाता का नाम :– ....

3. पिता का नाम :– ....

4. पूरा पता :– ....

..

..

5. निविदादाता की फर्म का नाम :– ....

6. वाहन का मॉडल न0 :– ....

7. निमित :– प्रबंध संचालक उ.दु.उ.स.संघ लि0

(अ) उदयपुर शहर हेतु दर :–

अंको में :– .... प्रति मोबाईल पार्लर दर प्रतिदिन

शब्दो में :– .... प्रति मोबाईल पार्लर दर प्रतिदिन

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर